185

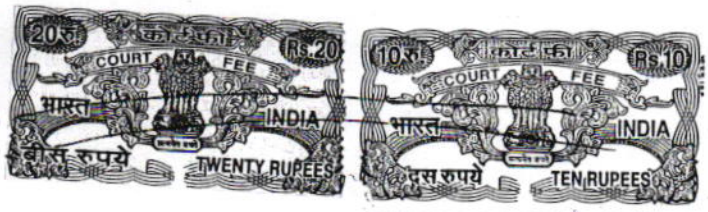

नि - 2377 - I - 16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर

दिनांक 20.7.16 को श्री ... चतुर्वेदी ... द्वारा प्रस्तुत।

20.7.16

1– महावीर शर्मा पुत्र श्री गोर्वधन शर्मा
2– मुडीबाई पत्नी रमेश मीना
3– अशोक कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री कृष्ण खण्डेलवाल

निवासीगण–श्योपुर जिला श्योपुर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर (म.प्र.)

...... अनावेदक

कारों एवं भाषकों हस्ताक्षर

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/2011–12/अ–13 में की जा रही कार्यवाही के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

20/7/16

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

यहकि, आवेदकगण द्वारा ग्राम जाटखेडा की भूमि सर्वे क्रमांक 295/3, 301, 302/1, 297/4 का 297/4 मिन 2, 297/4 मिन 3 में से आवासीय प्रयोजन हेतु भूखण्ड क्रय किये गये थे। उक्त भूखण्डों में आने व जाने के लिये ग्राम जाटखेडा की भूमि भूमि सर्वे क्रमांक 300 में दिया गया था जिसकी चौडाई 20 फीट एवं लंबाई 250 फीट है उक्त मार्ग के संबंध में पटवारी मौजा जाटखेडा द्वारा प्रतिवेदन तहसीलदार श्योपुर को दिनांक 12.01.2012 को प्रेषित किया। जिसे तहसीलदार श्योपुर द्वारा दिनांक 16.01.012 को अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर की ओर भेजा गया। तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 8/2011–12/अ–13 पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं पटवारी के कथन दर्ज करवाये जिसमें पटवारी द्वारा मौके पर ग्राम जाटखेडा की भूमि सर्वे क्रमांक 300 में रास्ता होना बताया तथा उसका उपयोग आवेदकगण द्वारा क्रय किये गये भूखण्डों आने जाने के लिये दिया जाना बताया गया। तथा आवेदकगण द्वारा उक्त रस्ते की भूमि स्वामी के सहमति से क्रय की गयी थी तथा उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है।

यहकि, पटवारी मौजा द्वारा उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से आने जाने के लिये किया जाना बताया गया है। अपने न्यायलीयन कथन में किया जाना बताया है तथा उसके उपरान्त भी पटवारी मौजा द्वारा अपने प्रतिवेदन में उक्त वर्णित रास्ते को अवैध बताया है तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गयी जो आज तक विचाराधीन है। जिसमें आज दिनांक तक कोई निर्णय नहीं पारित किया गया। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा की जा रही कार्यवाही से

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2377/एक/2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20.7.16	यह निगरानी आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 8/2011–12/अ–13 में की जा रही कार्यवाही के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम जाटखेडा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 295/3, 301, 302/1, 297/4 क, 297/4 मिन 2, 297/4 मिन 3 में से आवासीय प्रयोजन हेतु भूखण्ड क्रय किये थे उक्त भूखण्डों में आने व जाने के लिये मार्ग ग्राम जाटखेडा भूमि सर्वे क्रमांक 300 में से दिया गया था। जिसकी चौडाई 20 फीट एवं लम्बाई लगभग 250 फीट है उक्त मार्ग के संबंध में पटवारी मौजा जाटखेडा द्वारा प्रतिवेदन तहसीलदार श्योपुर को दिनांक 12.01.2012 को प्रेषित किया जिसे तहसीलदार श्योपुर द्वारा दिनांक 16.01.2012 को अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर की ओर भेजा गया। तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रांरभ की गयी एवं पटवारी के कथन दर्ज करवाये गये जिसमें पटवारी द्वारा मौके पर ग्राम जाटखेडा की भूमि सर्वे क्रमांक 300 में रास्ता होना बताया तथा उसका उपयोग आवेदकगण द्वारा क्रय किये गये भूखण्डों में आने जाने के लिये किया जाना बताया गया। तथा आवेदकगण द्वारा उक्त रास्ते की	

भूमि को भूमि मालिक की सहमति से क्रय किया गया था। तथा उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जाता रहा है। पटवारी मौजा द्वारा भी उक्त रास्ते का उपयोग सार्वजनिक रूप से आने जाने के लिये किया जाना बताया गया है अपने न्यायालीन कथन किया जाना बताया है। तथा उसके उपरान्त भी पटवारी मौजा द्वारा अपने प्रतिवेदन में उक्त वर्णित रास्ते को अवैध बताया है तथा पटवारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गयी जोकि आज तक विचाराधीन है जिसमें आज दिनांक तक कोई निर्णय पारित नहीं किया जा सका। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के द्वारा प्रकरण में की जा कार्यवाही से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

3- आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की जा रही है, वह विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। क्योंकि आवेदकगण द्वारा स्वंय के उपयोग के लिये रास्ते हेतु भूमि को क्रय किया था तथा उक्त रास्ते के संबंध में कभी भी मूल भूमि स्वामी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी थी और न ही किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी स्थिति में पटवारी मौजा द्वारा बिना किसी आधार के जो प्रतिवेदन दिया है उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारंभ की गयी है जो वैधानिक नहीं है।

4- आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी बताया गया कि पटवारी द्वारा अपने कथन में स्वीकार किया गया है कि

विवादित मार्ग का उपयोग आवेदकगण द्वारा क्रय किये गये प्लॉट में आने जाने के लिये किया जाता है ऐसी स्थिति में अवैध रूप से मार्ग निकालने का प्रश्न ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गयी है वह विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त की जाये। अंत में निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5- प्रकरण में शासकीय सूची अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गयी है, जिससे आवेदक के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है ऐसी स्थिति में कार्यवाही किये जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त स्थिति में आवेदक की ओर से कि गई निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

6- उभयपक्षों के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मौजा पटवारी के एक पक्षीय प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की है। जबकि एक पक्षीय प्रतिवेदन साक्ष्य में ग्राह्य योग्य ही नहीं है, पटवारी द्वारा अपने न्यायालीन कथन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि उक्त विवादित मार्ग का उपयोग आवेदकगण द्वारा क्रय किये गये प्लॉट में जाने के लिये किया जाता है ऐसी स्थिति में अवैध रूप से मार्ग बनाने का कोई आधार वर्तमान प्रकरण में नहीं है। और न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा कि जा रही कार्यवाही विधि एवं प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होने से

प्रचलन योग्य नहीं है।

7- उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदकगण के संबंध में विचाराधीन कार्यवाही इस स्थिर पर निरस्त की जाती है एवं ग्राम जाटखेडा की भूमि सर्वे क्रमांक 300 में से 20 फीट चौडा लगभग 250 फीट लम्बा भाग रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है इसी निर्देश के साथ वर्तमान प्रकरण समाप्त किया जाता है।

सदस्य